तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **श्रीमती कौशल्या बनाम चिमन** **अपील संख्या 45/2016(जीसीएमएस नम्बरा 2016/00124)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.24	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 उपस्थित। हमने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। दौराने बहस उनका कथन रहा है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा पारित एक ही निर्णय दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध दो अपीलें अलग–अलग न्यायालयों में प्रथम तो न्यायालय श्रीमान् के समक्ष एवं द्वितीय राजस्व अपील प्राधिकारी दौसा के समक्ष अलग–अलग दिनांक को प्रस्तुत की गई है जबकि कानूनन समान व्यक्तियों द्वारा एक ही आदेश के विरूद्ध दो न्यायालयों में अलग–अलग दो अपीलें प्रस्तुत नही की जा सकती। इसलिये अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर हो रहा है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के प्रकरण संख्या 46/2016 उनवान चिम्मन बनाम भम्बू के निर्णय दिनांक 27.06.2016 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 04.07.2016 को एक अपील पेश की गई जिसमें कोई स्थगन आदेश जारी नही हुआ, तत्पश्चात् हस्तगत अपील के अपीलार्थीगण द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2016 के ही विरूद्ध दूसरी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 21.07.2016 को प्रस्तुत कर तथ्यों को छिपाते हुए स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। जो अपीलार्थीगण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग को प्रदर्शित करता है। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी दौसा के समक्ष प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार बदलने पर न्यायालय हाजा को प्राप्त होने पर एवं दोनों अपीलें एक साथ तारीख पेशीयों पर आने पर अपीलार्थीगण के उक्त कृत्य न्यायालय हाजा के समक्ष प्रबोद्ध हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की हस्तगत अपील खारिज की जाती है तथा प्रकरण का विस्तृत निर्णय न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलार्थीगण की अन्य अपील संख्या 230/2020 जीसीएमएस नम्बर 2020/00361 उनवान श्रीमती कौशल्या बनाम चिमन में किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (असलम शेर खान) अति.संभागीय आयुक्त जयपुर	